

महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा ।

(विज्ञापन)

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संशोधित अधिनियम 2006) के अर्न्तगत जिला अंबाला, फतेहाबाद तथा रोहतक में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये जाने हैं ।

1. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिये योग्यतायें (-अंबाला, व रोहतक जिलें में केवल महिलाओं के लिये)

(i) योग्यतायें :

- **आयु :** बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले समाजिक कार्यकर्ता की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिये ।
- **शैक्षणिक योग्यता:** वह समाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा समाजिक विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो ।
- **अनुभव :** वह कम से कम सात वर्ष तक बाल कल्याण से संबंधित प्रशासनिक उपायों की योजना तथा कार्यन्वयन में सक्रिय रूप से अंतर्वलित रहा हो ।
- हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण ।

(ii) कार्य एवं जिम्मेदारियां

- विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामलों का न्यायनिर्णयन तथा निपटान करना ।
- विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिये कार्यरत संस्थाओं को मॉनीटर करना और घ्यान में आई कमियों के मामलों में बोर्ड के सुझावों के आधार पर सुधार के संबंध में समिति के साथ संपर्क बनाये रखना ।
- आवश्यक अवसंरचना या सुविधाएं प्रदान अथवा सृजित करने के लिये जिला प्राधिकारियों तथा पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करना, ताकि इस अधिनियम की मूल भावना के अनुसार न्याय तथा उपचार के न्यूनतम मानक बनाये रखे जा सकें ।
- देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले मामलों के संबंध में समिति के साथ संपर्क बनाये रखना ।
- विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य करना ।

नोट 1. - कोई व्यक्ति किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये विचारणीय नहीं होगा यदि वह :

- (i) किसी विधि के अधीन विगत में दोषी सिद्ध हुआ हो ।
- (ii) बच्चों से दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिकों रोजगार लगाने अथवा अन्य किसी मानवाधिकार के मामले या अवैतनिक कार्य में शामिल रहा हो ।
- (iii) ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय तथा ध्यान न दे सकता हो ।

नोट 2. - आवेदक अपने आवेदन में निम्न सूचना प्रमाण सहित उपलब्ध करवायें -

- (i) नाम
- (ii) पिता /पति का नाम
- (iii) स्थाई पता
- (iv) पत्राचार पता
- (v) दूरभाष न० /फैक्स न०
- (vi) उच्च विद्यालय के प्रमाण पत्र अनुसार जन्म तिथि
- (vii) वर्तमान आयु
- (viii) वर्तमान पता
- (ix) शैक्षणिक योग्यतायें
- (x) सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य बच्चों संबंधी क्षेत्र में अनुभव ।

नोट 3. - बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा/बैठक भत्ता दिया जायेगा परन्तु भत्ता प्रति बैठक 500/-रूपये से अधिक नहीं होगा ।

नोट 4. - आवेदक जो निर्धारित योग्यतायें रखते हो अपना आवेदन पत्र तथा बायो- डाटा शैक्षणिक योग्यतायें, अनुभव प्रमाण पत्रों सहित भिजवाने के लिये संबंधित जिले की कार्यक्रम अधिकारी को दिनांक 25/07/2012 तक अवश्य प्रस्तुत करें ।

अपर-निदेशक,

**कृते: महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज न० 15-20, पॉकेट-11, सैक्टर-4, पंचकूला ।**

DIRECTOR GENERAL, WOMEN & CHILD DEVELOPMENT, HARYANA
(Advertisement)

Members of Juvenile Justice Boards (for district. Ambala, Fatehabad and Rohtak)
are to be appointed under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act,2000 (as amended in 2006).

I Members of Juvenile Justice Boards (For District. Ambala,Fatehabad and Rohtak , only for women in District Ambala and Rohtak)

i) Qualification:-

- The Social Worker to be appointed as Member of the Board shall be a person not less than 35 years of age.
- He/She should be as post graduate degree in social work,health, education, psychology,child development or any other social science discipline.
- He/She should have been actively involved and engaged in planning, implementing and administering measures relating to child welfare for at least 7 years.
- Having domicile of Haryana.

ii) Role & Responsibilities:-

- adjudicate and dispose cases of juveniles in conflict with law;
- monitoring instructions for juveniles in conflict with law and seeking compliance from them in cases of any noticeable lapses and improvement bases on suggestions of the Board;
- pass necessary direction to the district authority and police to create or provide necessary infrastructure or facilities so that minimum standards of justice and treatment are maintained in the spirit of the Act;
- maintain liaison with the Committee in respect of cases needing care and protection;
- any other function assigned by the State Government from time to time relating with juveniles in conflict with law.

Note 1: No person shall be considered for selection as a Member Juvenile Boards if he/she,

- (i) has been convicted under any law;
- (ii) has ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human right violations or immoral act;
- (iii) is holding such other occupation that does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Board .

Note 2: Applicant may mention the following information in his/her application.

- (i) Name
- (ii) Father / Husband's name
- (iii) Permanent Address
- (iv) Correspondence Address
- (v) Telephone Number / Fax No.
- (vi) Date of Birth as per certificate of high school.
- (vii) Present Age
- (viii) Present Address
- (ix) Educational Qualifications
- (x) Experience of Social Work and other child related fields.

Note 3: The Social Worker member of the board shall be paid such travel and sitting allowance,as the State Government may determine,but it shall not be less than rupees five hundred per sitting.

Note 4: Applicants who are eligible will send their applications and Bio-data alongwith their certificates of educational qualifications, experience and submit the same to Programme Officer, ICDS Cell of concerned district of this department by 25-07-2012 positively

Additional Director,
For Director General, Women & Child Dev.,Department,Haryana,
Bays no.15-20,pocket -II,Sector-4,Panchkula.

